दांडिक प्रकरण क. 18863/2022
राज्य विरूद्ध अश्वनी चक्रधारी वगै.

Witness no.....**1**.....for.....**अभियोजन साक्ष्य**.....Deposition taken the.**04.07.2026**.....day of. **शनिवार**..... Witness's apparent age.....**40 वर्ष**.....
States on affirmation...**शपथ पूर्वक**.....My name is...**गंजाधर पटेल**
S/o..... **श्री हारक लाल पटेल** .....occupation.....**मजदूरी** .....
address.... **नवागांव, जिला–रायपुर छ0ग0**

समय– 01.25 बजे प्रारंभ।

अभियोजन अधिकारी श्री शिवांशु बैस द्वारा मुख्य परीक्षण।

01– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी गोपाल चक्रधारी को जानता हूं क्योंकि वह मेरे गांव का रहने वाला है। घटना दिनांक 19.12.2022 की है। घटना दिनांक को रामयण कुटी बस्ती नवागांव में कृष्णा चक्रधारी का समाजिक मिटिंग था, जिसमें पुरे बस्ती वाले उपस्थित थे।

02– मिटिंग में मैंने सभी से कहा था कि तुम लोग चक्रधारी–चक्रधारी चिल्लाते हो, थोड़ा शांति से बात करो। क्योंकि मिटिंग में उपस्थित लोग चक्रधारी–चक्रधारी चिल्ला रहे थे। जिस पर अश्वनी चक्रधारी एवं गोपाल चक्रधारी ने मुझे मां–बहन की गंदी–गंदी गाली मादरचोद दिया था और मेरे साथ अश्वनी चक्रधारी एवं गोपाल चक्रधारी ने मेरे साथ हाथ–मुक्के से मारपीट भी किया था और गोपाल चक्रधारी ने मेरा गला भी दबा दिया था।

03– मारपीट की वजह से मुझे दाहिने गाल में चोंट आयीं थी और मेरा गला, पीठ में दर्द था। उपरोक्त गाली–गलौज सुनकर मुझे खराब लगा था। उपरोक्त घटना के बाद मैं थाना गोबरा नवापारा रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। जहां मैंने रिपोर्ट दर्ज कराया।

04– प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी– 01 है, घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी– 02 है,** जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मुझे पुलिस वालों ने मुलाहिजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोबरा नवापारा लेकर गये थे। जहां मुझे इंजेक्शन लगा कर

ईलाज किया गया था। उसके बाद थाना वापस आकर पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर मुझे घर वापस भेज दिये थे। पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

टीप :– इसी स्तर पर ए0डी0पीओ0 श्री शिवांशु बैस द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत् साक्षी से सत्य बात जानने के लिए प्रतिपरीक्षण के समान सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही। प्रकरण के अवलोकन के पश्चात् न्यायहित में अनुमति प्रदान की गई।

05– यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने घटना के अगले दिन घटना स्थल पर आकर मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी– 02 तैयार किया था। यह कहना सही है कि घटना दिनांक को कृष्णा चक्रधारी के घास जमीन के संबंध में मिटिंग था। यह कहना सही है कि घटना को बीर सिंग ध्रुव, हृदय सिन्हा एवं सुखराम यादव देखे सुने थे।

06– यह कहना सही है कि अश्वनी चक्रधारी एवं गोपाल साहू गुस्से एवं आवेश में आकर एक राय होकर मुझसे गाली–गलौज एवं मारपीट किये थे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री योगेश साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त :–</u>

07– यह कहना सही है कि जिस समय मैं घटना बता रहा हूं उस समय सरपंच भागवत साहू थे। यह कहना सही है कि भागवत साहू कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते थे। यह कहना सही है कि भागवत साहू के चुनाव प्रचार में मैं भी जाता हूं।

08– यह कहना सही है कि हमारे गांव के सरपंच भागवत साहू के द्वारा गांव के शासकीय आबादी जमीन लगभग 70–80 लोगों को आंबटित किये थे। यह कहना सही है कि उक्त जमीन चूकिं गांव के सभी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए गांव के कुछ लोगों के द्वारा आंबटन पर स्टे कर दिया था। यह कहना सही है कि उक्त जमीन आंबटन में मुझे भी जमीन का टूकड़ा प्राप्त हुआ था।

09— यह कहना सही है कि गांव में ऐसा हल्ला हुआ था कि जमीन आंबटन के बदले में सरपंच भागवत साहू के द्वारा कुछ लोगों से पैसे लिये थे। साक्षी स्वतः कहता है कि मेरे से कोई पैसा नहीं लिया गया था, मुझे मुफ्त में जमीन मिली थी। यह कहना सही है कि उक्त आंबटन के संबंध में ग्रम पंचायत की तरफ से गांव में कई बार मिटिंग हुयी थी। साक्षी स्वतः कहता है कि यह बैठक कृष्णा चक्रधारी के द्वारा जमीन अतिक्रमण किये जाने के संबंध में थी।

10— यह कहना सही है कि यह बैठक में लगभग 100—200 गांव के लोग उपस्थित थे। यह कहना सही है कि बैठक में सभी लोग जमीन में बैठे थे। यह कहना सही है कि आरोपीगण एवं मैं दूर—दूर बैठे थे। साक्षी से पूछे जाने पर कि दोनों के बीच कितने का अंतराल था, इसपर साक्षी का कहना है कि 20—25 लोगों का अंतराल था। साक्षी स्वतः कहता है कि यह बात जो आप लिखवा रहे हो वह घटना अलग है और मेरे साथ जो घटित हुआ है वह अलग है।

11— यह कहना सही है कि घटना के समय जो बैठक हुयी थी वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे इसलिए बहुत ज्यादा शोरगुल हो—हल्ला हो रहा था। यह कहना सही है कि हो—हल्ला होने के कारण बहुत सारे लोगों की बांते सुनायी नही दे रही थी। यह कहना सही है कि हो—हल्ला होने के दौरान दो—चार आदमी के बाद बैठे हुए आदमी की बातें सुनायी नहीं देता। साक्षी स्वतः कहता है कि गांव का बैठक शांतिपूर्वक होता है।

12— यह कहना सही है कि आरोपी और मेरे बीच जो वाद—विवाद होना बता रहा हूं उस समय बैठक के दौरान शोरगुल और हो—हल्ला हो रहा था। यह कहना गलत है कि घ ाटना में मुझे किसी भी प्रकार की चोंटे नहीं आयीं है। यह कहना सही है कि प्रकरण के दोनों अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार है। यह कहना सही है कि प्रकरण के एक अभियुक्त से मैं राजीनामा कर लिया हूं।

13— यह कहना गलत है कि आरोपी गोपाल के द्वारा मेरे साथ कोई घटना घटित नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि घटना की रिपोर्ट लिखवाने के लिए गांव के सरपंच भागवत साहू गया था। साक्षी स्वतः कहता है कि मैं पहले थाना गया था बाद में सरपंच आये थे ।

दांडिक प्रकरण क. 18863/2022
राज्य विरूद्ध अश्वनी चक्रधारी वगै.

14— मैं प्रदर्श पी— 01 पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किया था। यह कहना गलत है कि मैंने नजरी नक्शा प्रदर्श पी— 02 पर हस्ताक्षर थाने में किया था। स्वतः कहा कि घटना स्थल पर किया था। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त से दुर्भावना रखने से अभियुक्त के विरूद्ध असत्य बातें बता रहा हूं। यह कहना गलत है कि अभियुक्त के द्वारा मेरे साथ कोई घटना कारित नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि मैं सरपंच के कहे अनुसार मेरे द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। यह कहना सही है कि पुलिस को बयान देते समय एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय मैंने मादरचोद शब्दशः नहीं बताया था।

समय— 02.00 बजे।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।

सही होना स्वीकार किया ।

सही/—
(आयुष ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/—
(आयुष ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....